बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
<u>आदेश</u>

संचिका संख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 03/2018–.........................../ पटना–15, दिनांक–..................

श्री कुमार विमल प्रसाद तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर के विरूद्ध नवगठित हनुमाननगर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, तीसीडीह, दरभंगा के साथ जलकरों की बंदोबस्ती ससमय नहीं करने, समितियों के संविलयन के प्रश्न पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या 14757/2011 में दिनांक 07.11.2014 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बंदोबस्ती के बिंदु पर मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1562 दिनांक 23.11.2017 के द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 96 नि॰गो॰, दिनांक 16.01.2018 द्वारा श्री प्रसाद निलंबित किये गये तथा उनके विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही विभागीय अधिसूचना 13 नि॰गो॰, दिनांक 10.01.2020 द्वारा श्री प्रसाद निलंबन से मुक्त किये गये। इसप्रकार श्री प्रसाद दिनांक 16.01.2018 से दिनांक 09.01.2020 तक निलंबित रहें हैं। श्री प्रसाद को उक्त निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

उक्त आरोप के लिये संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल के उपरांत श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 172 नि॰गो॰, दिनांक 20.05.2022 द्वारा गठित आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

तत्पश्चात श्री प्रसाद के द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 16.01.2018 से दिनांक 09.01.2020 तक के अवशेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 01.06.2026 समर्पित किया गया है।

निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (3) में प्रावधान है कि यदि अनुशासनिक प्राधिकार की राय में निलंबन अनुचित है तो सरकारी सेवक को जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए निलंबन अवधि को पूर्ण वेतनादि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 585, दिनांक 09.01.2024 में भी यह अंकित है कि आरोप मुक्त किये जाने की स्थिति में सरकारी सेवक के निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जायेगा तथा निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन देय होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि जिस आरोप के लिए श्री प्रसाद निलंबित किये गये थे उस आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। उक्त आलोक में श्री प्रसाद के निलंबन अवधि दिनांक 16.01.2018 से दिनांक 09.01.2020 तक को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए उक्त अवधि का पूर्ण वेतन एवं भत्ता उनके द्वारा प्राप्त किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए विनियमित किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार विमल प्रसाद, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति उप मत्स्य निदेशक, दरभंगा परिक्षेत्र, दरभंगा के निलंबन अवधि दिनांक 16.01.2018 से दिनांक 09.01.2020 तक को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए उक्त अवधि का पूर्ण वेतन एवं भत्ता उनके द्वारा प्राप्त किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए विनियमित की जायेगी।

ह०/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 03/2018– ..../पटना–15, दिनांक–................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 03/2018– ..../पटना–15, दिनांक–...................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 03/2018– 335 नि०गो०वि० **/पटना–15, दिनांक–** 06/07/20

प्रतिलिपि – सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, मत्स्य/जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर/दरभंगा/श्री कुमार विमल प्रसाद, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति उप मत्स्य निदेशक, दरभंगा परिक्षेत्र, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 2/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.7.20

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।